

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण
हत्या के मामले मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 284/2020 धारा 147 / 148 / 149 / 323 / 504 / 427 / 324 / 302 भादवि में वाँछित 02 अभियुक्त नाम पता 01- दीपचन्द्र पुत्र इन्नर मौर्या 02- जयसिंह पुत्र मोती चौधरी निवासीगण भड़ारे थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज अछिया पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भड़ारे साड़ेखुर्द में दिनांक 05.10.2020 को यूकेलिप्टस का पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट हो जाने के कारण मोहन मौर्या पुत्र बाबूलाल मौर्या निवासी हरपुर थाना मेहदावल हालमुकाम भड़ारे साड़ेखुर्द थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर की मृत्यु हो गयी थी। जिसके संबंध में मृतक उपरोक्त के भाई द्वारा थाना मेहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें थाना मेहदावल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज दिनांक 10.10.2020 को उक्त आरोपी अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण—

प्रभारी निरीक्षक मेहदावल श्री अनिल कुमार पाण्डेय, हे0का0 फखरुद्दीन खां, कां0 अभिषेक गौड़ मय टीम।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05-05(कुल 10लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 01- सुजीत यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी परतहरी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर 02 शिवराम पुत्र तीरथ यादव निवासी परतहरी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमश मु0अ0सं0 377/2020 व 378 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा विवाद को कराया गया शांत – पीआरवी 1490 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत कस्बा बखिरा से इवेन्ट संख्या 12752 से कालर विजय ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद होने से दो व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 के जरिये प्रा० स्व० केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना घनघटा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु०आरक्षी योगेश मणि, हो०चा० रामहित।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 64 वाहनो से 78600 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 64 वाहनो से 78600 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।